प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 769 सन 2021

अनवान :–

1. पालाराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी नगरासरीं तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री सजय कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 29/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 398/397 की कुल 30.3890हैक भूमि में से 2024/30389 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का निवास स्थान रूपाणा तहसील व जिला सिरसा दर्ज कर रखा है जबकि वादी का निवास स्थान नगरासरी तहसील नोहर है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का निवास स्थान गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही निवास स्थान नगरासरी तहसील नोहर है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का निवास स्थान नगरासरी तहसील नोहर दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का निवास स्थान रूपाण तहसील व जिला सिरसा दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना निवास स्थान संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर रूपाणा तहसील व जिला सिरसा के स्थान पर नगरासरी तहसील नोहर संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 398/397 की कुल 30.3890हैक भूमि में से 2024/30389 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का निवास स्थान रूपाणा तहसील व जिला सिरसा दर्ज कर रखा है जबकि वादी का निवास स्थान नगरासरी तहसील नोहर है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का निवास स्थान गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही निवास स्थान नगरासरी तहसील नोहर है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का निवास स्थान नगरासरी तहसील नोहर दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का निवास स्थान रूपाण तहसील व जिला सिरसा दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी

, खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना निवास स्थान संशोधन करवाना चाहता है।

परोकार राज ने निवास स्थान संशोधन करने की अभिशाषा की गई एवं मजमे आम के द्वारा भी प्रार्थी के निवास स्थान की तस्दीक की गई।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 398/397 की कुल 30.3890हैक्ट भूमि में से 2024/30389 हिस्सा भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैजिसमें वादी का नाम मीरा पत्नि स्व बलवन्त दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय नगरासरी तहसील नोहर के स्थान पर रूपणा तहसील सिरसा दर्ज किया गया है सही निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का निवास स्थान नगरासरी तहसील नोहर दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का निवास नगरासरी होना प्रतीत होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के निवास स्थान में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज की अभिशाष /मजमे आम की तस्दीक` के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत / पेरोकार राज की अभिशाष/ मजमे आम की तस्दीक के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 398/397 की कुल 30.3890हैक्ट भूमि में से 2024/30389 हिस्सा में वादी का निवास स्थान रूपाणा तहसील व जिला सिरसा अंकित है के स्थान पर नगरासरी तहसील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट....जबरासर.

उपखण्ड अ
नोहर

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. पालाराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी नगरासरीं तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 769 सन 2020 निर्णय दिनांक– 29/10/2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षो की उपस्थिति में अंतिम निपटारें/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 398/397 की कुल 30.3890हैक भूमि में से 2024/30389 हिस्सा में वादी का निवास स्थान रूपाणा तहसील व जिला सिरसा अंकित है के स्थान पर नगरासरी तहसील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट....जबरासर..